सीमाशुल्कआयुक्तकाकार्यालय
नवसीमाशुल्कभवन,पणंबूर,मंगलूर–५७५०१०
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
NEW CUSTOMS HOUSE, PANAMBUR, MANGALURU – 575 010
Telephone No. 0824-2408164, **website** -www.customsmangalore.gov.in, **Email**- commr-cusmnglr@nic.in

File No. GEN/CB/APPL/F/3/2024-CH-O/O-COMMR-CUS-MANGALURU (Comp. No. 1471706)	**दिनांक**/Date: As e-signed

Din:

सार्वजनिकसूचनासं.23/2025
PUBLIC NOTICE NO.23/2025

विषय/**Sub:** सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग परीक्षा के लिए सूचना

Notice for Customs Broker Licensing Examination – 2026-reg.

******

वर्ष 2026 के लिए सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग परीक्षा (सीबीएलआर) की लिखित परीक्षा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) द्वारा 2026 की पहली तिमाही में भारत भर में नामित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

The written examination of **Customs Brokers Licensing Examination (CBLR), for the Year 2026**, shall be conducted by National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN) in **first quarter of 2026** at the designated examination centres across India.

आवेदकों को सीबीएलएमएस में आवेदन पत्र भरते समय नीति अनुभाग का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। नीति अनुभाग का अर्थ है वह सीमा शुल्क आयुक्तालय जिसका अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र पर है जहाँ आवेदक व्यवसाय करना चाहता है। नीति अनुभाग की सूची सीबीएलएमएस पोर्टल पर "हमसे संपर्क करें" टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवेदन पत्र पूरी और सटीक जानकारी के साथ भरा और जमा किया जाए, क्योंकि इसे केवल एक बार ही जमा किया जा सकता है। "एफ श्रेणी परीक्षा एवं लाइसेंस" के लिए पूरा आवेदन 14.10.2025 से 13.11.2025 तक 2400 बजे तक केवल ऑनलाइन माध्यम से सीबीएलएमएस पोर्टल (https://cblms.gov.in) पर जमा किया जाना चाहिए। निर्धारित माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

2. Applicants should carefully choose the **Policy Section** while filling out the application form in CBLMS. Policy Section means the **Customs Commissionerate having jurisdiction over the area where the applicant intends to carry business**. The list of Policy Section is available on the CBLMS Portal under the tab "**Contact Us**". It is essential to ensure that the application form is filled out and submitted with complete and accurate information, as it can be submitted only once. **The complete "F Category Exam & License"application must be submitted from 14.10.2025 to 13.11.2025 up to 24:00 hrs. in online mode only on the CBLMS Portal** (https://cblms.gov.in). Applications sent by post on in any manner than the prescribed mode shall not be entertained.

आवेदक को “एफ श्रेणी परीक्षा एवं लाइसेंस” आवेदन पत्र में ऑनलाइन या पॉलिसी अनुभाग में मैन्युअल चालान के माध्यम से 500/- रुपये (मात्र पाँच सौ रुपये) का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा और इस मैन्युअल चालान की एक प्रति “एफ श्रेणी परीक्षा एवं लाइसेंस” आवेदन पत्र में अपलोड करनी होगी। शुल्क के सफल भुगतान के बिना कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. The applicant must pay the prescribed **fee of Rs.500/- (Rupees five hundred only)** either online in the **“F Category Exam & License”** application form or through a manual challan at the Policy Section and upload a copy of this manual challan in the **“F Category Exam & License”** application. No application will be accepted without successful payment of the fee.

ऑनलाइन लिखित परीक्षा, बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) वाली एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसकी अवधि ढाई घंटे (10:30 बजे से 1:00 बजे तक) होगी। प्रश्न द्विभाषी होंगे, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में। परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार होगा:

4. The online written examination will be a **Computer Based Examination(CBE)** comprising **Multiple Choice Questions (MCQs)** of two and half hours duration (10:30 Hrs. to 13:00 Hrs.).The Question paper will be bilingual i.e. in English and Hindi. The pattern of the examination will be as follows:

- **No of Questions:** 150
- **Marking Scheme:** +3 for each correct answer; -1 for each incorrect answer
- **Maximum Marks:** 450
- **Qualifying Marks:** 270 (60%)

परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के विनियम 6(7) में निर्धारित है। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को उक्त विनियम के विनियम 6 के अनुसार मौखिक परीक्षा देनी होगी।

5. The Syllabus of examination is prescribed in Regulation 6(7) of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018, as amended. Those qualifying in the said examination will have to appear for oral examination in terms of Regulation 6 of the said Regulations.

मौखिक परीक्षा कैलेंडर वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान आयोजित की जाएगी। मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत अंक 60% होंगे।

6. The oral examination will be held during the second quarter of the Calendar Year 2026. The pass percentage marks for qualifying in the oral examination will be 60%.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.08.2018 के दिशानिर्देशों और सीबीआईसी द्वारा दिनांक 10.10.2018 के पत्र द्वारा बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से संबंधित प्रसारित दिशानिर्देशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। मानदंडों को पूरा करने वाले और उक्त दिशानिर्देशों का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपनी पात्रता और इच्छा का समुचित रूप से उल्लेख करना चाहिए, ताकि परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी और उसकी सहयोगी एजेंसियों द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जा सके।

7. **Attention is invited to the Guidelines dtd.29.08.2018 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) and circulated by CBIC vide letter dtd.10.10.2018 pertaining to the persons with benchmark disability. Eligible candidates meeting the criteria and willing to avail the benefit of the said guidelines should appropriately intimate their eligibility and willingness at**

the time of application, so that necessary arrangements can be made by the exam conducting authority and its partner agencies.

अभ्यर्थियों की जागरूकता के लिए एक डमी प्रश्नपत्र सीबीआईसी और एनएसीआईएन की वेबसाइटों www.cbic.gov.in और www.nacin.gov.in पर परीक्षा से काफी पहले<परीक्षा><सीमा शुल्क दलाल><अभ्यास परीक्षा>आइकन/टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक भी उसी में दिया जाएगा। पात्र आवेदकों को परीक्षा तिथि से 12 दिन पहले प्रवेश पत्र ईमेल द्वारा भी भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए, केंद्रों की सूची, अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश, हेल्प डेस्क, ईमेल आईडी आदि जैसी अन्य आवश्यक जानकारी भी उक्त आइकन/टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

8. A dummy question paper for the purpose of awareness of candidates will be made available on the CBIC and NACIN websites www.cbic.gov.in and www.nacin.gov.in under the icon/tab **<Examination><Customs Broker><Practice Test>**well before the exam. A link to download the admit card will also be provided therein. Admit Cards shall also be sent by e-mail to eligible applicants 12 days in advance before the date of examination. For the convenience of candidates, other necessary details like list of centres, guidelines to the candidates, help desk, e-mail ID. etc., will also be made available under the said icon/tab.

(पी.विनीता शेखर/ P.VINITHA SEKHAR)
आयुक्त / COMMISSIONER

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, Bengaluru.

Copy to:

1. EDI Section, Mangaluru Customs, for uploading in the website.
2. The Customs Brokers Association, Mangaluru, for wide publicity.
3. Notice Board, NCH, Mangaluru.